

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

Annex - B

प्रेमक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

सेवा में

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 7-7-06

विषय:- जी० डी० एस० एकेडमी, मेन रोड रवरीत को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित सोसाइटी "जी० डी० एस० एडुकेशनल सोसाइटी" के द्वारा किया जा रहा है। यह सूचना भी दी गयी है कि सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के सदस्यों की सूची दी गयी है। जिनमें अधिकांश का पेशा सामाजिक सेवा अथवा मात्र सेवा अंकित है। सामाजिक सेवा अथवा सेवा सामान्य जिनसे पेशा के सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों के पेशा की सही सही जानकारी आवश्यक है। (सूची संलग्न)
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाइजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है।
3. आवेदक के अनुसार विद्यालय भवन उसकी अपनी भूमि पर निर्मित है। भवन एवं अन्य सुविधा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के क के अनुरूप बताया गया है। बोर्ड को अपने एजेंसी से रथल निरीक्षण कराकर विद्यालय के द्वारा दी गयी सूचना को सम्पुष्ट करा लेना होगा।
4. विद्यालय में 13 शिक्षक हैं, जिनमें एक ही प्रशिक्षित है। आवेदन में यह बताया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि शिक्षकों की नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए समुचित पारदर्शिता अपनायी गयी हो।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्कों, अन्य प्रकार के शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेशन आदि को सार्वजनिक करने की सहमति दी गयी है। आवेदन के साथ दो वर्षों के लेखा का अंकेशन की रिपोर्ट एवं शुल्क की दर समर्पित की गयी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी समीक्षा कर आश्वस्त होगा कि शुल्कों की दर उचित है।

विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोसी में न्यास करने वाले परिवार के बच्चों का

Principal
G.D.S. ACADEMY 10+2
Aff. to C.B.S.E. -330201
SCHOOL No.-85198
Raxaul-845305

President
Educational Society
Raxaul

Principal
G.D.S. ACADEMY
Raxaul

जायेगा । एसी बच्चों की खोज में अनुसूचित जाति, अल्पजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निम्नलांग भ्रातृवर्ग तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपये प्रतिवर्ष होगी ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए गिन्सी तरह की प्रवेश परीक्षा/राष्ट्रात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्यवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जी0 डी0 एस0 एकेडमी, मेन रोड रक्सील को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से राख्यदता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय के द्वारा दिनांक 24.04.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

अनुलग्नक -

विश्वासभाजन

ह0/-

(शिव प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक - 461

पटना, दिनांक:- 7.7.06

प्रतिलिपि - प्राचार्य, जी0 डी0 एस0 एकेडमी, मेन रोड रक्सील को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शिव प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

President
G.D.S. Educational Society
Patna

Principal
G.D.S. ACADEMY
Patna